पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी तथा वादी स्वयं उपस्थित। वादी/प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र बाबत वाद विड्रो किये जाने के प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि प्रार्थी/वादी अब वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई अनुतोष अब नहीं चाहता है, जिससे वाद को इसी स्तर पर विड्रा करना चाहता है। हमने प्रार्थी/वादी को सुना व तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी/वादी द्वारा स्वंय की पहचान के संदर्भ में आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति प्रस्तुत की है तथा प्रार्थी की पहचान प्रार्थी/वादी अधिवक्ता श्री गुलाबचंद द्वारा भी की गई है।

चूंकि स्वयं प्रार्थी/वादी अब वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः वाद वादी विड्रो के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.03.10 12:35:17 IST
Reason: SelfAttested